

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/ 6113

दिनांक - 17.07.25


प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 कबीराराम पुत्र खमाराम जाति मेघवाल निवासी हरूपाणी (भीमडा) तहसील बाटाडु जिला बाड़मेर।		1 राजुराम पुत्र नरसाराम वगैराह जाति मेघवाल निवासी हरूपाणी (भीमडा) तहसील बाटाडु जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 190/2025

दिनांक- 09/07/25

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा रतनाली नाडी पटवार क्षेत्र भीमडा तहसील बाटाडु जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 84 रकबा 1.8445 हैक्टर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाटाडु को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।


(वीरमा राम)

उपखण्ड अधिकारी,
उप खण्ड अधिकारी,
बाड़मेर
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2025/ 6114-6117

दिनांक- 17.07.25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाटाडु पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी भीमडा तहसील बाटाडु को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी कबीराराम पुत्र खमाराम जाति मेघवाल निवासी हरूपाणी (भीमडा) तहसील बाटाडु जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण राजुराम पुत्र नरसाराम वगैराह जाति मेघवाल निवासी हरूपाणी (भीमडा) तहसील बाटाडु जिला बाड़मेर।



उपखण्ड अधिकारी,
उप खण्ड अधिकारी,
बाड़मेर
बाड़मेर